प्रेषक,

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ एवं अध्यक्ष,
मण्डलीय समिति,अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र--2 समुदाय केन्द्र,
प्रीतिबिहार,नई दिल्ली।

पत्रॉक:एस0टी0/एन0ओ0सी0/1830-36/2013--14 दिनॉक: 27-06-2013

विषय- अलीगढ़ मण्डल में स्थित माध्यमिक विधालयों को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या--1916(1)/15-7--09--1(299)/2007 दिनॉक: 14--07--2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनॉक: 26--06--2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार आर0बी0एस0 पब्लिक स्कूल, सौंगरा, मुरसान, हाथरस को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित निम्न प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नहीं है।

प्रतिबन्ध--

1--विधालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2--विधालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विधालय निरीक्षक,सदस्य होगा।

3--विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।।

4--संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिशद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्रप्त होती है,तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिशद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

5--संस्था के शैक्षिक एव शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।

6--कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों की भॉति अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध करायें जायेगें।

7--राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें,संस्था उनका पालन करेगी।

8--विधालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं मे रखा जायेगा।

9--विधालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे तथा विधालय की भूमि भवन यदि विधालय के नाम न हो तो विधालय के नाम करायें ।

10--नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जायें।

11--उक्त शर्तो मे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

12--संस्था प्रबन्धक द्वारा पट्टा विलेख 29 वर्ष 11 माह दिखाया गया है, जिसे 30 वर्ष के लिए राजस्व अभिलेखों में कराना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

27.6.13

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ

(टी0 वेंकटेश)
मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ

कार्यालय– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,अलीगढ़

पृष्ठॉकन संख्याः एस0टी0 / एन0ओ0सी0 /1830-36/ 2013–14 तद् दिनॉक
प्रतिलिपि– निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–सचिव,(माध्यमिक शिक्षा) उ0प्र0शासन,शिक्षा–7 अनुभाग लखनऊ।
2–मण्डलायुक्त,अलीगढ़।
3–शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,18 पार्क रोड लखनऊ।
4–जिलाधिकारी हाथरस।
5–जिला विधालय निरीक्षक, हाथरस।
6–प्रबन्धक,राम्बन्धित विधालय।
7–गार्ड फाइल हेतु ।

27.6.13

डा0 (अंजना गोयल)
सचिव / सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

Manager
R.B.S. Public School
Mursan (Hathras)

PRINCIPAL
R.B.S. Public School
Mursan, Hathras (U.P.)